

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022 / 167

दायरा तिथि : 14.02.2022

आदेश तिथि : 7-4-2022

प्रार्थीगण :-

1. श्री भानुप्रतापसिंह पुत्र श्री उदयसिंह
2. श्रीमति सूरजकंवर पत्नि भानु प्रतापसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण निमाज तहसील जैतारण जिला पाली (राज0) व नाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

बाबत रेकर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 7-4-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 656, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.24 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.16 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम रूगनाथपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 650 रकबा 2.9000 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा व खसरा नंबर 653 रकबा 0.77 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/886 दिनांक 29.03.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. ग्राम रूगनाथपुरा के खसरा नंबर 656, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.24 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.16 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की भूमि प्रार्थी श्री भानुप्रतापसिंह पुत्र उदयसिंह व सूरजकंवर पत्नि भानुप्रतापसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण निमाज तहसील जैतारण जिला पाली के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। आवेदित भूमि से ही आना जाना करते हैं।

2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	650	2.90 हैक्टर	गै.मु. मगरा	9x 234=2106वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक
2.	653	0.77 हैक्टर	गै.मु. रास्ता	उक्त संपुर्ण रकबा पूर्व से रास्ते के उपयोग में आ रहा है।	राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै.मु. रास्ता

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम रूगनाथपुरा की डी.एल.सी. दर 96390/- रुपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से न्यायालय आदेश की अनुपालना में रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण श्री जगतपालसिंह ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात है कि आवेदक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 656, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.24 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.16 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्ड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थीगण की रास्ते बाबत मांग न्यायोचित है।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022 / 167
अनवान भानुप्रतापसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि आवेदित मार्ग एवं तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तावित रुट में वर्णित खसरा नंबर 653 रकबा 0.77 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता रेकॉर्ड में पहले से दर्ज है तथा उक्त रकबा रास्ते के रूप में भी उपयोग में आ रहा है, जिससे उक्त खसरा नंबर के संबंध में 251(ए) के तहत नये सिरे से आदेश की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आवेदक को आवेदित रुट एवं प्रस्तावित रिपोर्ट में वर्णित खसरा नंबर 650 मेंसे ही नये सिरे से आदेश की आवश्यकता रहेगी। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक: प.3 (52) राज-6/ 12 / 4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम रूगनाथपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 656, 657, 658 रकबा क्रमशः 0.24 हैक्टर, 0.20 हैक्टर, 0.16 हैक्टर किस्म नहरी दायम की भूमि में आवागमन के लिये राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम रूगनाथपुरा के खसरा नंबर 650 रकबा 2.90 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा मेंसे कुल 2106 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक/2022/886 दिनांक 29.03.2022 के संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 96390/- रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
650	2.90 हैक्टर	9x234=2106वर्गमीटर	9.64	20302X2= 40604	राजकीय सिवाय चक

तहसीलदार, बाली देय कुल प्रतिकर राशि 40604/-रूपये अक्षरे चालीस हजार छः सौ चार रूपये मात्र राजकोष में जमा की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुंडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस. बाली (राज.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 04.2022

क्रमांक/कोर्ट/रास्ता/2022/ 1582-84
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रार्थीगण श्री भानुप्रतापसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत निवासी निमाज तहसील जैतारण वगैरा को सूचनार्थ।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
बाली, जिला-पाली (राज.)